

अनुसूची 21-प्रथम संख्या 112।

1896 दिनांक 30/8/20

सम्पत्ति अवधार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं० 299
 आवेदन सं० 299
 अधिकारी का नाम: Director Land Revenue, Bihar
 स्थिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्पत्तियों का और अवधारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाय।

Barley, Paddy (Bihar)

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण 2)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले अवधारों और अवधारों के बारे में वही 1 में और अवधारों सम्बन्ध अनुक्रमणिका में ता. 20/8/20 में ही. 20/8/20 तक तालिका भर गई और वेही अवधारों के बाद गिना सम्पत्तियों और अवधारों का पता करता है।

क्रम सं०	क) स्थिति का विवरण	निष्कासन की तारीख	ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य	पत्तों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति निर्देश		
				निष्कासक	दावेदार	पृष्ठ 11	12	13
<p>Mouza: Dainya 10.06 Under & Date - 01 R.S. No. 2177 - (C.S. No. 2177) Total Area: - 13.20 Dec. Nil</p>								
/								

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करे।
 ख) प्रमाण-पत्र की दशा में ध्यान की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करे। बशर्ते, कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 ग) पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करे।
 Bolyant Roy

(३)

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अवधारों पर छोड़, उक्त संपत्ति की प्रमाणित करी जाने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार पर पला नहीं पला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) - [Signature]

(पदनाम) - clerk

तलासी कर सत्यापन और प्रमाणपत्र की ओर निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) - [Signature]

(पदनाम) - clerk

कर्यालय Dishabjeet Singh Joco

तारीख 25/8/11



[Signature]
निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा मन्दा प्रस्तुत संपत्ति विवरण की अनुसंधान पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी इसी संपत्तियों की निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो; तो यही दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहिनो और अनुक्रमणियों (इन्हे वार) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि होगा चाहते हो अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जांच हो उन्हें तलासी स्वयं करना होगा। विहित कीत का गुमान करने पर बहिनो और अनुक्रमणियों उनके तालने रख दी जायेगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कर्यालय में अधिशित तलासी अपने गाराका सत्यापन से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलासी परिणाम की विरती पूरा के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अधिशित तलासी स्वयं की है और चूंकि जांच द्वारा पड़े गये संव्यवहारों और अवधारों के सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये वे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

made by me